विज्ञप्ति ,

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–588 / **xii**(1)/15-86(19)/2015 दिनांक 25 अप्रैल 2015 के क्रम में ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन हेतु विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रस्तावित प्रस्तावों का परीक्षण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, से प्राप्त आख्या के अनुसार करने के उपरान्त पुनर्गठित ग्राम पंचायतो का अनन्तिम प्रकाशन संलग्न प्रारूप–1–क के अनुसार किया जा रहा है। अनन्तिम प्रकाशन पर हितबद्व व्यक्तियों के द्वारा **आपत्तियां दिनाकं 20 / 05 / 2015 से दिनांक 22 / 05 / 2015** तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी तथा जिलाधिकारी, कार्यालय हरिद्वार में प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा तथा आपत्तियां स्वीकार नही की जाएगी।

अतः मैं एच.सी. सेमवाल जिलाधिकारी, हरिद्वार पुनर्गठित ग्राम पंचायतो के प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गगठन से सम्बन्धित अनन्तिम सूची संलग्न प्रारूप–1–क के अनुसार प्रकाशित करता हूँ।

संलग्न प्रारूप–1–क

(एच0सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक / 177 / पं0–7 / ग्रा0स0–परिसीमन / 2015–16 / दिनांक 19 मई 2015

प्रतिलिपि–

1– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ पुनर्गठित ग्राम पंचायतो का अनन्तिम प्रकाशन विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड तथा सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराते हुए सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर ले कि विज्ञप्ति का प्रकाशन संलग्न प्रारूप–1–क के अनुसार कर दिया गया है।

2– समस्त तहसीलदार / उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करायें।

3– जिला पंचायत राज अधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी हरिद्वार को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जिला सूचना अधिकारी,जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ की इस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क जनहित में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।

5– प्रभारी अधिकारी, कलक्ट्रेट हरिद्वार।

6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि जनपद की बेबसाईट पर उक्त विज्ञप्ति को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

7– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।

8– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

ADIO
FNA pl.